संख्या- 04/202 2/ 317/क.नि.प्र./26-3-2022-18(65)98

प्रेषक,

राज रतन,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आहरण एवं वितरण अधिकारी,
समाज कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊ: दिनांक: 29 अप्रैल,2022

समाज कल्याण विभाग

विषय:-सचिवालय स्तर पर समाज कल्याण विभाग के अधीन गठित कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ में कार्यरत कर्मचारियों के अधिष्ठान व्यय हेतु वेतन,भत्तों आदि की स्वीकृति वर्ष 2022-23

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022 दिनांक 30 दिसम्बर,2021 एवं शासनादेश संख्या-5/ 2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक 29 मार्च,2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर समाज कल्याण विभाग के अधीन गठित कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ के कर्मचारियों के अधिष्ठान व्यय हेतु अनुदान संख्या-80 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 44.19 लाख (रू0 इकतालिस लाख तीस हजार मात्र) में से वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम चार माहों(अप्रैल से जुलाई,2022) के दौरान होने वाले व्यय को वहन किये जाने हेतु निम्नलिखित मदों के अनुसार कालम-3 में अंकित धनराशि को आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

मद	आय-व्ययक प्राविधान	निर्गत धनराशि (रूपये में)
1	2	3
01-वेतन	26.78	8.92

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

03-मंहगाई भत्ता	9.91	3.30
04-यात्रा व्यय	0.20	0.06
06-अन्य भत्ते	1.10	0.36
7-मानदेय	0.10	0.03
08-कार्यालय व्यय	0.35	0.12
11-लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.35	0.12
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	0.75	0.50
45-अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.10
49-चिकित्सा व्यय	0.50	0.16
51-वर्दी व्यय	0.15	0.05
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	2.00	0.36
53-मकान किराया भत्ता	1.50	0.65
योग-	44.19	14.73

(रू0 चौदह लाख तिहत्तर हजार मात्र)

2- उक्त स्वीकृति पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-080-समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-793-अनुसूचित जाति की संघटक योजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता-04-सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान" की सुसंगत इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022 दिनांक 30 दिसम्बर,2021 एवं शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक 29 मार्च, 2022 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राज रतन

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ.संख्या-04/2022/317(1)/क.नि.प्र./26-3-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2-महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम/द्वितीय) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3-कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4-अनुभाग अधिकारी,लेखा,समाज कल्याण विभाग, उ.प्र.शासन।

5-वित्त (व्यय-नियन्त्रण)अनुभाग-4, उ.प्र.शासन।

6-सांख्यकीय निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन,लखनऊ।

7-एन.आई.सी. की प्रति।

8-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राज रतन

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।